



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

शैक्षणिक संगठन प्रबंधन पद्धति अनुज्ञप्ति

Licence for Educational Organizations Management System Certification

601-ए/ए. कनेक्टस टॉवर/Konnectus Tower-1, छठी मंजिल/6th Floor, बीएमआरसी भवन/DMRC Building,
भवभुति मार्ग/Bhavbhuti Marg, नई दिल्ली/New Delhi 110002

लाइसेंस नं. के. काईओएमएस/एल-8000019

Licence No. CRO/EOMS/L-8000019

1 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016),
the Bureau hereby grants/recertifies to

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

दिल्ली बैचलर ऑफ एजुकेशन डिवीजन,

वरुन मार्ग

नई दिल्ली- 110024

State Council Educational Research and Training

Delhi Bachelor of Education Division,

Varun Marg,

New Delhi- 110024

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणाली के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 21001:2018 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Educational Organizations Management System** in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with **IS/ISO 21001:2018**

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रवधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 22 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2026 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 22 Nov 2023 to 21 Nov 2026 and may be Recertified as prescribed in the Regulations

2023 के नवम्बर माह के बाइसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरीकृत।

Signed, Sealed and dated this Twenty Second day of November 2023

(Dr. R.K. Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

E
O
M
S



E

O

M

S

लाइसेंस नं. के काईओएमएस/एल-8000019

Licence No. CRO/EOMS/L-8000019

जारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
दिल्ली बैचलर ऑफ एजुकेशन डिवीजन,
वरुन मार्ग,
नई दिल्ली- 110024

Issued to State Council Educational Research and Training
Delhi Bachelor of Education Division,
Varun Marg,
New Delhi- 110024

अनुसूची SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को के शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणाली लाइसेंस स्वीकृत किया गया है:

Products Services/Processes with respect to which the firm has been Granted the
licence for **Educational Organizations Management System** :

"Providing Education, Training and counselling to In-service and Pre-service trainees of B Ed.
Programme as per curriculum offered by affiliating University (Clause 8.3 of IS/ISO 21001:2018 is
excluded)."

(Dr. R. K. Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS